

याचालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

सील नुम्बर	हुकम या कार्यवाही	
0-7-17	<p>कमपनापली पेशा हुई। तद्विषय रिपोर्ट का उपरोक्त विषय/कमील कर वसूल हुई। कमील से कैबिनेट प्रारम्भ प्राप्त हुआ है। अतः कैबिनेट के विषय में रिपोर्ट जारी की जाकर कमपनी खत 12-7-17 को पेश है।</p>	
12-7-17	<p>कमपनापली कमील कर उपरोक्त/कैबिनेट से कमील रिपोर्ट कमपनी खत 13-7-17 को पेश है।</p>	
13-7-17	<p>पत्रावली पेश हुई। अविभाज्य अपीलान उपस्थित। बहल स्वपरीय सुनी गई। वकील शर्मा द्वारा कैबिनेट कर की delivery Tareck consignment की प्रति प्रस्तुत की। कैबिनेटकर हाजिर आर। -शुद्धि अर्थात् -याचालय से वाद बंटवारे का है तथा दोनों पक्षों को सुने बिना बंटवारा किया जाने का कोई औचित्य प्रमाण नहीं होता तथा यह अविधि है। अतः पत्रावली को रिमाउंड करते हुए तहत -याचालय को यह निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनने ही दो माह में निर्णय करें। तब तब के लिए अर्थात् -याचालय को निर्णय का प्रचलन स्थगित रखा जावे। पत्रावली बहल शुभार होना उम्मीद से बच की आज्ञा बाद तन्मूलक जाहना दाखिल करण की जावे।</p>	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर